रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062025-264188
CG-DL-E-30062025-264188

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 373]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 26, 2025/आषाढ़ 5, 1947
No. 373]	NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 26, 2025/ASHADHA 5, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2025

सा.का.नि. 416(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा, जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल, परिवहन और सड़क सुरक्षा), ईमेल: comments-morth@gov.in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. शीर्षक एवं प्रारंभ – (1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (........संशोधन) नियमावली, 2025 कहा जाएगा।

(2) इन नियमों में यथा-निहित के अतिरिक्त होते हुए भी, ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसमें आगे उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) के नियम 2 में, खंड (आईजी) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(आईएच) "श्रेणी एल1-1" से तात्पर्य तीन पहियों वाली मोपेड अभिप्रेत है, जिसमें:

i. थर्मिक इंजन के मामले में इंजन क्षमता 50 सीसी से अधिक नहीं होनी चाहिए या इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के साथ फिट है, तो अधिकतम शक्ति 4 किलोवाट से अधिक नहीं होनी चाहिए; तथा

ii. अधिकतम डिज़ाइन वाहन गति 45 किमी/घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए; तथा

iii. कर्ब वजन 270 किलोग्राम से अधिक नहीं (ट्रैक्शन बैटरियों के द्रव्यमान को छोड़कर); तथा

iv. अधिकतम दो बैठने के स्थानों से सुसज्जित, जिसमें चालक के बैठने का स्थान (75 किग्रा) भी शामिल है।

(ii) "श्रेणी एल1-1एम" से श्रेणी एल1-1 वाहन अभिप्रेत है, जो अपनी तकनीकी विशेषताओं के आधार पर यात्रियों को ले जाने के लिए है;

(ij) "श्रेणी एल1-1एन" श्रेणी एल-1-1 वाहन से अभिप्रेत है, जो अपनी तकनीकी विशेषताओं के कारण समय-समय पर यथासंशोधित माल ले जाने के लिए है;

3. उक्त नियम के नियम 2 के उप-नियम (प) में विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

बशर्ते कि एआईएस-178 में यथापरिभाषित ट्राइसाइकिल को मोटर वाहन नहीं माना जाएगा, यदि एआईएस-178 के भाग ग की सभी शर्तों को नियम 126 में निर्दिष्ट परीक्षण एजेंसी द्वारा सत्यापित और प्राधिकृत किया गया हो।

4. उक्त नियम में, नियम 16 में, उप-नियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(7) दिव्यांगजनों को जारी किए गए लाइसेंस के मामले में, 3.5 टन जीवीडब्ल्यू और एन1 से नीचे श्रेणी एम1 के रूपांतरित वाहन चलाने के लिए, दिव्यांगता के प्रकार का उल्लेख प्रपत्र 7 में किया जाएगा। प्रपत्र 7 में परिभाषित दिव्यांगता का प्रकार निम्नलिखित तालिका के अनुसार होगा:

क्र.सं.	**शारीरिक दिव्यांगता का प्रकार (लोकोमोटर दिव्यांगता)**	**दिव्यांगता के लिए संक्षिप्त नाम**
(1)	(2)	(3)
1.	दोनों पैरों से दिव्यांग	एवीबीएल
2.	बायें पैर से दिव्यांग	एवीएलएल
3.	दाहिने पैर से दिव्यांग	एवीआरएल
4.	बाएं हाथ से दिव्यांग (आंशिक या पूर्ण)	एवीएलएच
5.	दाहिने हाथ से दिव्यांग (आंशिक या पूर्ण)	एवीआरएच
6.	छोटे कद वाले व्यक्ति के लिए **नोट** : दिव्यांगता अधिनियम 2016 में यथा निर्दिष्ट छोटे कद वाले व्यक्ति	एवीडीआर"

5. उक्त नियम में, नियम 93 के उप-नियम (1) (क) में, खंड (II) और उसके अंतर्गत सारणी के स्थान पर निम्नलिखित खंड (II) और सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

(II) तिपहिया वाहन श्रेणी एल5 एम/एल5 एन, ई-रिक्शा/ई-कार्ट और तीन पहियों वाली मोपेड

सारणी

क्र.सं.	वाहन की श्रेणी	चौड़ाई (मीटर)	लंबाई (मीटर)	ऊंचाई (मीटर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	तिपहिया वाहन श्रेणी (एल-5 श्रेणी)	1.6	4.0	2.5
2.	ई -रिक्शा /ई -कार्ट	1.0	2.8	1.8
3.	तीन पहियों वाली मोपेड (एल1-1 श्रेणी)	1.0	2.8	1.8

6. उक्त नियमों में, नियम 96 के उप-नियम (1) में तथा उप-नियम (1) के पश्चात् परंतुक में, "अमान्य कैरेज" शब्दों के स्थान पर, "रूपांतरित वाहन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

7. उक्त नियम में, नियम 96 के उप-नियम (1) के प्रथम परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"बशर्ते कि 3.5 टन जीवीडबल्यू और एन1 से कम श्रेणी एम1 के रूपांतरित वाहन को सर्विस ब्रेक से सुसज्जित किया जाएगा, जिसे पैर या हाथ से संचालित किया जा सकता है। एम1, एन1 श्रेणियों के रूपांतरित वाहनों के लिए ब्रेकिंग आवश्यकताएँ समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-169 के अनुरूप होंगी।"

8. इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के पश्चात्, उक्त नियमों में, नियम 98 में, उप-नियम (3) में, अंतिम परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते इसके अतिरिक्त, यह भी प्रावधान है कि, श्रेणी एम1 और एन1 के रूपांतरित वाहनों के लिए स्टीयरिंग प्रयास आवश्यकताएं समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-169 के अनुरूप होंगी।"

9. उक्त नियम में, नियम 112-क में, उप-नियम 2 के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3). रूपांतरित वाहन

i. 3.5 टन से कम जीवीडबल्यू और एन1 श्रेणी के वाहन, जिन्हें 1 अक्टूबर 2025 को और उसके बाद रूपांतरित वाहनों के रूप में उपयोग के लिए परिवर्तित किया गया है, वे समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-169:2021 के अनुरूप होंगे है।

ii. 1 अक्टूबर 2025 को और उसके बाद रूपांतरित वाहनों के रूप में उपयोग के लिए परिवर्तित किए गए एल1, एल2 और एल5एम श्रेणी के वाहन, समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-178 के अनुसार होंगे।

10. मूल नियमों के नियम 115 में,

उप-नियम (19) के खंड (i) में विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"1 अप्रैल 2020 और उसके बाद निर्मित दोपहिया वाहन मॉडल और 1 अक्टूबर 2025 के बाद निर्मित श्रेणी एल1-1 के वाहनों के लिए भारत स्टेज-VI के उत्सर्जन मानक नीचे दी गई सारणी के अनुसार होंगे:-

ख. सारणी 1 का शीर्षक, उप-नियम (19) के खंड (i) के पश्चात, विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"पीआई और सीआई इंजन वाले दोपहिया वाहनों और पीआई इंजन वाले एल1-1 श्रेणी के वाहनों के लिए सीमा मान: बीएस-VI"

ग. सारणी 1 में, उप-नियम (19) के खंड (i) के पश्चात्, सारणी की प्रथम प्रविष्टि के ऊपर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा:-

	वाहन वर्ग	बीएस-VI उत्सर्जन मानदंड

		सीओ मिलीग्राम/ किमी	एचसी मिलीग्राम/ किमी	एनओएक्स मिलीग्राम/ किमी	एनएमएचसी मिलीग्राम/ किमी	पीएम मिलीग्राम/ किमी	ईवीएपी एमजी/ टेस्ट	ओबीडी	टिकाउपन माइलेज (किमी) टाइप V
एल1-1 श्रेणी का पीआई वाहन	0-1 और 2-0	1000	100	60	68	4.5	1500	-	11000

घ. सारणी 2 के बाद दिए गए टिप्पणों में, क्रम संख्या (2) के बाद दी गई सारणी में, इसकी अंतिम प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां अतःस्थापित की जाएंगी:-

क्रम सं.	**वर्ग**	**वर्ग की परिभाषा**	**डबल्यूएमटीसी साइकिल**	**अंतिम उत्सर्जन परिणामों के लिए भार कारक**
6	उप -वर्ग 1-0	निम्नलिखित विनिर्देशों को पूरा करने वाले वाहन वर्ग 0-1 के अंतर्गत आते हैं: इंजन क्षमता ≥ 50 सेमी 3और वीअधिकतम ≥ 25 किमी/घंटा	भाग1 , ठण्ड की स्थिति में वाहन की गति कम होना, उसके बाद भाग 1, गर्म स्थिति में वाहन की गति कम होना	भाग 1 ठंड की स्थिति में गति 50% कम होगी और भाग 1 गर्म की स्थिति में गति 50% कम होगी।
	उप -वर्ग 2-0	निम्नलिखित विनिर्देशों को पूरा करने वाले वाहन वर्ग 0-2 के अंतर्गत आते हैं: इंजन क्षमता ≥ 50 सेमी 3 और 25 किमी/घंटा > वीअधिकतम ≥ 45 किमी/घंटा		

11. उक्त नियमों में, नियम 117 के उप-नियम (1) में, "अमान्य कैरेज" शब्दों के स्थान पर "दोपहिया और तिपहिया रूपांतरित वाहन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

12.उक्त नियमों में नियम [125-थ] के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"[125-द] रूपांतरित वाहन

iii. "1 अक्टूबर 2025 को और उसके बाद निर्मित 3.5 टन जीवीडब्ल्यू से नीचे एम1 और एन1 श्रेणियों के रूपांतरित वाहन समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-169:2021 के अनुरूप होंगे।

बशर्ते कि पूर्व प्रक्रिया या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न परामर्शों के अनुसार पूर्वोक्त वाहन श्रेणियों के हाथ या पैर से नियंत्रण में परिवर्तन या वाहन अनुकूलन के लिए दिए गए मौजूदा अनुमोदन एआईएस-169:2021 के कार्यान्वयन के बाद भी वैध रहेंगे।

iv. 1 अक्टूबर 2025 को और उसके बाद निर्मित एल1, एल2 और एल5एम श्रेणियों के रूपांतरित वाहन समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-178 के अनुरूप होंगे।

13. उक्त नियम में, नियम [125-द] के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम [125-ध] अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"[125-ध] 1 अक्टूबर 2025 को और उसके बाद, सभी "एल1-1 श्रेणी" के वाहन समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस 183:2023 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होंगे।"

13. उक्त नियम में, प्रारूप 7 में, मशीन पठनीय क्षेत्र (केवल स्मार्ट कार्ड का विकल्प चुनने पर लागू) शीर्षक के अंतर्गत, लाइसेंस विवरण के लिए क्रम सं. 2 में, शब्द "अमान्य कैरेज वाहन पंजीकरण संख्या", "अमान्य कैरेज द्वितीय वाहन

पंजीकरण संख्या, यदि कोई हो”, और “अमान्य गाड़ी तृतीय वाहन पंजीकरण संख्या, यदि कोई हो” को शब्दों के स्थान पर “दिव्यांगता का प्रकार” प्रतिस्थापित किया जाएगा।

14. उक्त नियमों में, प्रारूप 22 ङ में, - शब्द, आंकड़े और कोष्ठक, “[नियम 47ख(2) देखें]” के स्थान पर, शब्द, आंकड़े और कोष्ठक, “[नियम 47ख(2), 125ध देखें]” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

15. उक्त नियमों में, प्रारूप 22छ में, - शब्दों, आंकड़ो और कोष्ठकों, “[(नियम 47ख (3), 112क (2), 126) देखें]” के स्थान पर, शब्द, आंकड़े और कोष्ठक, “[(नियम 47ख (3), 112क (2), 125ध, 126) देखें]” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. आरटी-11036/32/2025 -एमवीएल]

महमूद अहमद,अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 889(अ), दिनांकित 16 सितंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. ....(अ), दिनांकित .... द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2025

G.S.R. 416(E).— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

3. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL, Transport & Road Safety), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

Draft Rules

1. Short title and commencement. — (1) these rules may be called as the Central Motor Vehicles (………. Amendment) Rules, 2025.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (herein after referred as the said rules), in rule 2, after clause (ig), the following clauses shall be inserted, namely: -

(ih) **“Category L1-1”** means a moped with three wheels having:

i. Engine capacity not exceeding 50 cc in case of thermic engines or Maximum net power not exceeding 4 kW if fitted with electric power train; and
ii. Maximum design vehicle speed not exceeding 45km/h; and
iii. Kerb weight not exceeding 270 kg (excluding mass of traction batteries); and
iv. Equipped with a maximum of two seating positions, including the seating position for the driver (75 kg).

(ii) “**Category L1-1M”** means a category L1-1 vehicle on account of its technical features intended to carry passengers;

(ij) **“Category L1-1N”** means a category L-1-1 vehicle on account of its technical features intended to carry goods, as amended from time to time;

3. In the said rules, in rule 2, in sub-rule (u), the following proviso shall be inserted after existing proviso, namely: -

Provided that Tricycles, as defined in AIS-178, shall not be deemed to be a motor vehicle if all the conditions of Part C of AIS-178 are verified and authorized by a testing agency specified in rule 126.

4. In said rules, in rule 16, after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

"(7) In case of License issued to person with disability, for driving Adapted Vehicles of categories M1 below 3.5-ton GVW and N1, the type of disability shall be mentioned in Form 7. The type of disability defined in Form 7 shall be as per the following Table:

Sr. No.	Type of Physical Disability (Locomotor disability)	Abbreviation for Disability
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	Impairment in both legs.	AVBL
2.	Impairment in left leg.	AVLL
3.	Impairment in right leg	AVRL
4.	Impairment in Left hand (partial or full)	AVLH
5.	Impairment in Right hand (partial or full)	AVRH
6.	For short stature person **Note**: Person with short stature is as specified in Person with Disability Act 2016.	AVDR"

5. In the said rules, in rule 93, in sub-rule (1) (A), for clause (II) and Table under it, following clause (II) and Table shall be substituted, namely: -

(II)Three wheeler Category L5 M/ L5 N, E-rickshaw/E-cart and Moped with three wheels

TABLE

Serial Number	Category of Vehicle	Width (Meters)	Length (Meters)	Height (Meters)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Three wheeler Category (L-5 Category)	1.6	4.0	2.5
2.	E-rickshaw /E-cart	1.0	2.8	1.8
3.	Moped with three wheels (L1-1 Category)	1.0	2.8	1.8

6. In the said rules, in rule 96, in sub-rule (1) and in the proviso after sub-rule (1), for the words "Invalid carriage" the words "Adapted Vehicle" shall be substituted.

7. In the said rules, in rule 96 in sub-rule (1), before the first proviso, following provisos shall be inserted, namely: -

"Provided that Adapted Vehicle of category M1 below 3.5 ton GVW and N1, shall be equipped with service brake which can be either foot or hand operated. The braking requirements for adapted vehicles of categories M1, N1 shall conform to AIS-169, as amended from time to time."

8. On and after one year from date of publication of these rules in the Official Gazette, in the said rules, in rule 98, in sub-rule (3), after last proviso, following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided further that, steering effort requirements for adapted vehicles of categories M1 and N1 shall conform to AIS-169, as amended from time to time."

9. In the said rules, in rule 112-A, after sub-rule 2 following sub-rule shall be inserted, namely: -

"(**3**). **Adapted Vehicles**

Vehicles of categories M1 below 3.5-ton GVW and N1 altered on and after 1st October 2025, for use as an Adapted Vehicles shall be in accordance with AIS-169:2021, as amended from time to time.

ii. Vehicles of categories L1, L2 and L5M altered on and after 1st October 2025, for use as an Adapted Vehicles shall be in accordance with AIS-178, as amended from time to time.

10. In rule 115 of the principal rules,

A. Clause (i) of sub-rule (19), for the existing title following title shall be substituted namely:-

“The Emission Standards for Bharat Stage-VI for two-wheelers vehicle models manufactured on and after 1st April 2020 and vehicles of category L1-1 manufactured after 1st October 2025 shall be as per Tables below:-

B. Title of Table 1, after clause (i) of sub-rule (19), for the existing title following title shall be substituted namely:-

“LIMIT VALUAES FOR TWO-WHEELERS FITTED WITH PI & CI ENGINES AND L1-1 CATEGORY VEHICLES FITTED WITH PI ENGINES: BS-VI”

C. in Table 1, after clause (i) of sub-rule (19), insert the following above the first entry in the Table:-

	Vehicle Class	**BS-VI Emission Norms**							
		CO mg/km	HC mg/km	NOx mg/km	NMHC mg/km	PM mg/km	EVAP Mg/test	OBD	Durability mileage (km) Type V
PI vehicles Of L1-1 category	0-1 & 0-2	1000	100	60	68	4.5	1500	-	11000

in the notes after Table 2, Table given after serial No. (2), insert the following entries after last entry in the Table:-

Sl. No.	Class	Definition of Class	WMTC Cycles	Weighting Factor for final emission results
6	Sub-Class 0-1	Vehicles that fulfill the following specifications belongs to class 0-1: Engine capacity ≤ $50cm^3$ and $V_{max} \leq 25$ km/h	Part 1, reduced vehicle speed in cold condition, followed by part 1, reduced vehicle speed in warm condition	Part 1 reduced speed cold shall be 50 % and Part 1 reduced speed hot shall be 50 %.
	Sub-class 0-2	Vehicles that fulfill the following specifications belongs to class 0-2: Engine capacity ≤ $50cm^3$ and 25 km/h < $V_{max} \leq 45$ km/h		

11. In the said rules, in rule 117 in sub-rule (1), for the words “Invalid Carriage” the words “ Two and Three wheeled Adapted Vehicle” shall be substituted.

12. In the said rules, after rule [125-Q], following rule shall be inserted, namely:-

“[**125-R**]. **Adapted Vehicles**

“Adapted Vehicles of categories M1 below 3.5-ton GVW and N1 manufactured on and after 1st October 2025 shall be in accordance with AIS-169:2021, as amended from time to time.

Provided that existing approvals accorded for hand or foot control modifications or vehicle adaptation of aforesaid vehicle categories as per earlier procedure or various advisories issued by the Central Government or State Government shall be continue to be valid after implementation of AIS-169:2021"

Adapted Vehicles of categories L1, L2 and L5M manufactured on and after 1st October 2025 shall be in accordance with AIS-178, as amended from time to time."

13. In the said rule, after rule [125-R] following new rule [125-S] shall be inserted, namely:

"[125-S.] On and after 1st October 2025, all "L1-1 Category" of vehicles shall conform to the requirements specified in AIS 183:2023, as amended from time to time."

13. In the said rule, in Form 7, under the heading MACHINE READABLE ZONE (applicable only if opted for Smart Card), in Sr. No. 2 for Licence details, the words "Invalid carriage Vehicle Registration Number", "Invalid carriage 2nd Vehicle Registration Number, if any", and "Invalid carriage 3rd Vehicle Registration Number, if any" shall be substituted by the words "Type of disability"

14. In the said rules, in Form 22 E, - for the words, figures and brackets, "[See rules 47B(2)]", the words, figures and brackets, "[See rules 47B(2), 125S.]", shall be substituted

15. In the said rules, in Form 22 G, - for the words, figures and brackets, "[(See rules 47B (3), 112A(2), 126)]", the words, figures and brackets, "[(See rules 47B (3), 112A(2), 125S, 126)]", shall be substituted.

[F. No. RT-11036/32/2025-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 889(E), dated the 16th September, 2020 and lastly amended vide Notification number …….. Dated………….

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.06.30 15:19:10 +05'30'